

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश शासन  
सतपुड़ा भवन भोपाल-462004

क्रमांक 1011/229/आउशि/अनु.बजट/18  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 18/05/2018

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी,

पेंशन-प्रकोष्ठ,

कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र., भोपाल।

विषय- विश्वविद्यालय पेंशन निधि से, पेंशन/परिवार पेंशन राहत के भुगतान हेतु अनुदान-वित्तीय वर्ष 2018-19

—00—

विषयांतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के माह मई 2018 में विश्वविद्यालयीन स्ववित्तीय पेंशन योजना के अंतर्गत, विश्वविद्यालयों के सेवानिवृत्त शिक्षकों/अधिकारियों/कर्मचारियों को विश्वविद्यालय पेंशन निधि से सुचारु रूप से भुगतान सुनिश्चित करने हेतु, विश्वविद्यालय अनुदान से रूपये 16,11,000/- (रूपय सोलह लाख, ग्यारह हजार मात्र) विश्वविद्यालय पेंशन निधि में हस्तांतरण हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उक्त राशि का आहरण वित्तीय वर्ष 2018-19 के माह मई 2018 निम्नलिखित बजट शीर्ष से विकलनीय होगा :-

**बजट शीर्ष-** मांग संख्या-44 उच्च शिक्षा, मुख्य शीर्ष-2202 सामान्य शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष-03 विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा, लघु शीर्ष-102 विश्वविद्यालयों को सहायता, योजना-3178 बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल, सेगमेंट- अन्य, ऑब्जेक्ट-42 सहायक अनुदान, विस्तृत शीर्ष-007 अन्य।

3. उक्त धनराशि से संबंधित लेखे महालेखाकार/वित्त विभाग/स्थानीय निधि संपरीक्षा/उच्च शिक्षा विभाग के लेखा परीक्षण दलों के लिये उनके विवेकानुसार जांच हेतु खुले रहेंगे।

4. इस विश्वविद्यालय से स्वीकृत अनुदान अंशदान, विश्वविद्यालय से सीधे प्राप्त नियोक्ता अंशदान, स्ववित्तीय पाठयक्रम से आय का अंशदान एवं पेंशन, परिवार पेंशन, सारांशीकरण का लेखा नियमानुसार संधारित किया जावे।

5. राशि का आहरण कोषालय वल्लभ भवन भोपाल से किया जावेगा। बजट आवंटन राशि डी.डी.ओ. कोड 0523802008, लेखाधिकारी, उच्च शिक्षा भोपाल पर आयुक्त, कोष एवं लेखा के सर्वर पर प्रविष्ट है।

"आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"

(डॉ. सुषमा हुन)

अपर संचालक (वित्त)

उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 18/05/2018

पृ0क0 1612/229/आउशि/अनु.बजट/18

प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी/राज्यमंत्रीजी मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग भोपाल।
2. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम मध्यप्रदेश ग्वालियर।
3. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।
4. बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल।
5. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. आहरण एवं संवितरण अधिकारी कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन भोपाल..... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(डॉ. सुषमा हुन)

अपर संचालक (वित्त)

उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

क्रमांक 1007/229/आउशि/अनु-बजट/18  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 18/05/2018

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी,  
पेंशन-प्रकोष्ठ,

कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र., भोपाल

विषय- विश्वविद्यालय पेंशन निधि से, पेंशन, परिवार पेंशन राहत के भुगतान हेतु अनुदान स्वीकृत करने  
बाबत- वित्तीय वर्ष 2018-19

—00—

विषयांतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के माह मई 2018 में विश्वविद्यालयीन स्ववित्तीय पेंशन योजना के अंतर्गत, विश्वविद्यालयों के सेवानिवृत्त शिक्षकों/अधिकारियों/कर्मचारियों को विश्वविद्यालय पेंशन निधि से सुचारू रूप से भुगतान सुनिश्चित करने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान से रूपये 34,74,000/- (रूपये चौतीस लाख, चौहत्तर हजार मात्र) विश्वविद्यालय पेंशन निधि में हस्तांतरण हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उक्त राशि का आहरण वित्तीय वर्ष 2018-19 के माह मई 2018 में निम्नलिखित बजट शीर्ष से विकलनीय होगा :-

**बजट शीर्ष-** मांग संख्या-44 उच्च शिक्षा, मुख्य शीर्ष-2202 सामान्य शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष-03 विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा, लघु शीर्ष-102 विश्वविद्यालयों को सहायता, योजना-3939 विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, सेगमेंट- अन्व, ऑब्जेक्ट-42 सहायक अनुदान, विस्तृत शीर्ष-007 अन्व।

3. उक्त धनराशि से संबंधित लेखे महालेखाकार/वित्त विभाग/स्थानीय निधि संपरीक्षा/ उच्च शिक्षा विभाग के लेखा परीक्षण दलों के लिये उनके विवेकानुसार जांच हेतु खुले रहेंगे।

4. इस विश्वविद्यालय से स्वीकृत अनुदान अंशदान, विश्वविद्यालय से सीधे प्राप्त नियोक्ता अंशदान, स्ववित्तीय पाठ्यक्रम से आय का अंशदान एवं पेंशन, परिवार पेंशन, सारांशीकरण का लेखा नियमानुसार संधारित किया जावे।

5. राशि का आहरण कोषालय वल्लभ भवन भोपाल से किया जावेगा। बजट आवंटन राशि डी.डी.ओ. कोड 0523802008, लेखाधिकारी, उच्च शिक्षा भोपाल पर आयुक्त, कोष एवं लेखा के सर्वर पर प्रविष्ट है।  
"आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"

(डॉ. सुषमा दुबे)

अपर संचालक (वित्त)

उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 18/05/2018

पृ0क0 1008/229/आउशि/अनु-बजट/18  
प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी/राज्यमंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल।
2. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम मध्यप्रदेश ग्वालियर।
3. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।
4. विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन।
5. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. आहरण एवं संवितरण अधिकारी कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल.....की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(डॉ. सुषमा दुबे)

अपर संचालक (वित्त)

उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश शासन  
सतपुड़ा भवन भोपाल-462004

क्रमांक 1013/229/आउशि/अनु-बजट/18

भोपाल, दिनांक 18/05/2018

प्रति,

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी,  
पेंशन-प्रकोष्ठ,  
कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र., भोपाल

विषय- विश्वविद्यालय पेंशन निधि से, पेंशन, परिवार पेंशन राहत के भुगतान हेतु अनुदान स्वीकृत करने बाबत- वित्तीय वर्ष 2018-19

—00—

विषयांतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के माह मई 2018 में विश्वविद्यालयीन स्ववित्तीय पेंशन योजना के अंतर्गत, विश्वविद्यालयों के सेवानिवृत्त शिक्षकों/अधिकारियों/कर्मचारियों को विश्वविद्यालय पेंशन निधि से सुचारु रूप से भुगतान सुनिश्चित करने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान से रूपये 18,00,000/- (रूपये अठारह लाख मात्र) विश्वविद्यालय पेंशन निधि में हस्तांतरण हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उक्त राशि का आहरण वित्तीय वर्ष 2018-19 माह मई 2018 के निम्नलिखित बजट शीर्ष से विकलनीय होगा :-


**बजट शीर्ष-** मांग संख्या-44 उच्च शिक्षा, मुख्य शीर्ष-2202 सामान्य शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष-03 विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा, लघु शीर्ष-102 विश्वविद्यालयों को सहायता, सेगमेंट-\_\_\_\_\_ अन्य, योजना- 1561 देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इन्दौर, ऑब्जेक्ट-42 सहायक अनुदान, विस्तृत शीर्ष-007 अन्य।

3. उक्त धनराशि से संबंधित लेखे महालेखाकार/वित्त विभाग/स्थानीय निधि संपरीक्षा/ उच्च शिक्षा विभाग के लेखा परीक्षण दलों के लिये उनके विवेकानुसार जांच हेतु खुले रहेंगे।

4. इस विश्वविद्यालय से स्वीकृत अनुदान अंशदान, विश्वविद्यालय से सीधे प्राप्त नियोक्ता अंशदान, स्ववित्तीय पाठ्यक्रम से आय का अंशदान एवं पेंशन, परिवार पेंशन, सारांशीकरण का लेखा नियमानुसार संधारित किया जावे।

5. राशि का आहरण कोषालय वल्लभ भवन भोपाल से किया जावेगा। बजट आवंटन राशि डी. डी.ओ. कोड 0523802008, लेखाधिकारी, उच्च शिक्षा भोपाल पर आयुक्त, कोष एवं लेखा के सर्वर पर प्रविष्ट है।

“आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित”



  
(डॉ. सुषमा दुबे)  
अपर संचालक (वित्त)  
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश



निरंतर...2....

प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी/राज्यमंत्रीजी मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल।
2. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम मध्यप्रदेश ग्वालियर।
3. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।
4. देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इन्दौर।
5. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन,भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. आहरण एवं संवितरण अधिकारी कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, सतपुरा भवन भोपाल.....की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

  
(डॉ. सुषमा दुबे)अपर संचालक (वित्त)  
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश शासन  
सतपुड़ा भवन भोपाल-462004

क्रमांक 1009/229/आउशि/अनु-बजट/18

भोपाल, दिनांक 18/05/2018

प्रति,

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी,  
पेंशन-प्रकोष्ठ,  
कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र., भोपाल

विषय- विश्वविद्यालय पेंशन निधि से, पेंशन, परिवार पेंशन राहत के भुगतान हेतु अनुदान स्वीकृत करने  
बाबत- वित्तीय वर्ष 2018-19

---00---

विषयांतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के माह मई 2018 में विश्वविद्यालयीन स्ववित्तीय पेंशन योजना के अंतर्गत, विश्वविद्यालयों के सेवानिवृत्त शिक्षकों/अधिकारियों/कर्मचारियों को विश्वविद्यालय पेंशन निधि से सुचारू रूप से भुगतान सुनिश्चित करने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान से रूपये 19,26,000/- (रूपये उन्नीस, लाख, छब्बीस हजार मात्र) विश्वविद्यालय पेंशन निधि में हस्तांतरण हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उक्त राशि का आहरण वित्तीय वर्ष 2018-19 के माह मई 2018 में निम्नलिखित बजट शीर्ष से विकलनीय होगा :-

बजट शीर्ष-


मांग संख्या-44 उच्च शिक्षा, मुख्य शीर्ष-2202 सामान्य शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष-03 विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा, लघु शीर्ष-102 विश्वविद्यालयों को सहायता, योजना-1437 रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर, सेगमेंट-\_\_\_\_\_ अन्य, ऑब्जेक्ट-42 सहायक अनुदान, विस्तृत शीर्ष-007 अन्य।

3. - उक्त धनराशि से संबंधित लेखे महालेखाकार/वित्त विभाग/स्थानीय निधि संपरीक्षा/उच्च शिक्षा विभाग के लेखा परीक्षण दलों के लिये उनके विवेकानुसार जांच हेतु खुले रहेंगे।

4. इस विश्वविद्यालय से स्वीकृत अनुदान अंशदान, विश्वविद्यालय से सीधे प्राप्त नियोक्ता अंशदान, स्ववित्तीय पाठयक्रम से आय का अंशदान एवं पेंशन, परिवार पेंशन, सारांशीकरण का लेखा नियमानुसार संधारित किया जावे।

5. राशि का आहरण कोषालय वल्लभ भवन भोपाल से किया जावेगा। बजट आवंटन राशि डी. डी.ओ. कोड 0523802008, लेखाधिकारी, उच्च शिक्षा भोपाल पर आयुक्त, कोष एवं लेखा के सर्वर पर प्रविष्ट है।

"आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"

  
(डॉ. सुषमा दुबे)  
अपर संचालक (वित्त)  
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश





निरंतर....2.....

//2//

पृ०क० 1010/229/आउशि/अनु-बजट/18  
प्रतिलिपि:-

भोपाल,दिनांक 18/05/2018

1. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी/राज्यमंत्रीजी मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल।
2. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम मध्यप्रदेश ग्वालियर।
3. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।
4. रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर।
5. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. आहरण एवं संवितरण अधिकारी कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन भोपाल.....की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

  
(डॉ. सुषमा दुबे)  
अपर संचालक (वित्त)  
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश  


कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश शासन  
सतपुड़ा भवन भोपाल-462004

भोपाल, दिनांक 18/05/2018

क्रमांक 137/229/आउशि/अनु-बजट/18

प्रति,

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी,  
पेंशन-प्रकोष्ठ,  
कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र., भोपाल

विषय- विश्वविद्यालय पेंशन निधि से पेंशन, परिवार पेंशन राहत के भुगतान हेतु अनुदान स्वीकृत करने  
बाबत- वित्तीय वर्ष 2018-19

---00---

विषयांतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में विश्वविद्यालयीन स्ववित्तीय पेंशन योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालयों के सेवानिवृत्त शिक्षकों/अधिकारियों/कर्मचारियों को विश्वविद्यालय पेंशन निधि से सुचारु रूप से भुगतान सुनिश्चित करने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान से रूपये 2,25,000/- (रूपये दो लाख, पच्चीस हजार) विश्वविद्यालय पेंशन निधि में हस्तांतरण हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उक्त राशि का आहरण वित्तीय वर्ष 2018-19 के माह मई 2018 में निम्नलिखित बजट शीर्ष से विकलनीय होगा :-

बजट शीर्ष-


मांग संख्या-44 उच्च शिक्षा, मुख्य शीर्ष-2202 सामान्य शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष-03 विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा, लघु शीर्ष-102 विश्वविद्यालयों को सहायता, योजना-0298 अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा, सेगमेंट-\_\_\_\_\_ अन्य, ऑब्जेक्ट-42 सहायक अनुदान, विस्तृत शीर्ष-007 अन्य।

3. उक्त धनराशि से संबंधित लेखे महालेखाकार/वित्त विभाग/स्थानीय निधि संपरीक्षा/उच्च शिक्षा विभाग के लेखा परीक्षण दलों के लिये उनके विवेकानुसार जांच हेतु खुले रहेंगे।

4. इस विश्वविद्यालय से स्वीकृत अनुदान अंशदान, विश्वविद्यालय से सीधे प्राप्त नियोक्ता अंशदान, स्ववित्तीय पाठयक्रम से आय का अंशदान एवं पेंशन, परिवार पेंशन, सारांशीकरण का लेखा नियमानुसार संधारित किया जावे।

5. राशि का आहरण कोषालय वल्लभ भवन भोपाल से किया जावेगा। बजट आवंटन राशि डी. डी.ओ. कोड 0523802008 लेखाधिकारी, उच्च शिक्षा भोपाल पर आयुक्त, कोष एवं लेखा के सर्वर पर प्रविष्ट है।

"आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"

  
(डॉ. सुषमा दुबे)  
अपर संचालक (वित्त)  
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश  
9/5/18

निरंतर.....

//2//

पृ0क0-10/229/आउशि/अनु-बजट/18

भोपाल,दिनांक 18/05/2018

प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी/राज्यमंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल।
2. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम मध्यप्रदेश ग्वालियर।
3. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।
4. अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा ।
5. कोषालय अधिकारी,वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. आहरण एवं संवितरण अधिकारी कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल.....की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(डॉ. सुषमा दुबे)

अपर संचालक (वित्त)  
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश



कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश शासन  
सतपुड़ा भवन भोपाल-462004

क्रमांक 1015/229/आउशि/अनु-बजट/18  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 18/05/2018

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी,  
पेंशन-प्रकोष्ठ,  
कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र., भोपाल।

विषय- विश्वविद्यालय पेंशन निधि से, पेंशन, परिवार पेंशन राहत के भुगतान हेतु अनुदान स्वीकृत करने  
बाबत- वित्तीय वर्ष 2018-19

---00---

विषयांतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के माह मई 2018 में विश्वविद्यालयीन स्ववित्तीय पेंशन योजना के अंतर्गत, विश्वविद्यालयों के सेवानिवृत्त शिक्षकों/अधिकारियों/ कर्मचारियों को विश्वविद्यालय पेंशन निधि से सुचारु रूप से भुगतान सुनिश्चित करने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान से रूपये 8,64,000/- (रूपये आठ लाख, चौंसठ हजार मात्र) विश्वविद्यालय पेंशन निधि में हस्तांतरण हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है।


2. उक्त राशि का आहरण वित्तीय वर्ष 2018-19 के माह मई 2018 निम्नलिखित बजट शीर्ष से विकलनीय होगा :-

**बजट शीर्ष-** मांग संख्या-44 उच्च शिक्षा, मुख्य शीर्ष-2202 सामान्य शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष-03 विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा, लघु शीर्ष-102 विश्वविद्यालयों को सहायता, योजना- 1562 जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर, सेगमेंट- \_\_\_\_\_ अन्य, ऑब्जेक्ट-42 सहायक अनुदान, विस्तृत शीर्ष-007 अन्य।

3. उक्त धनराशि से संबंधित लेखे महालेखाकार/वित्त विभाग/स्थानीय निधि संपरीक्षा/ उच्च शिक्षा विभाग के लेखा परीक्षण दलों के लिये उनके विवेकानुसार जांच हेतु खुले रहेंगे।


4. इस विश्वविद्यालय से स्वीकृत अनुदान अंशदान, विश्वविद्यालय से सीधे प्राप्त नियोक्ता अंशदान, स्ववित्तीय पाठ्यक्रम से आय का अंशदान एवं पेंशन, परिवार पेंशन, सारांशीकरण का लेखा नियमानुसार संधारित किया जावे।

5. राशि का आहरण कोषालय वल्लभ भवन भोपाल से किया जावेगा। बजट आवंटन राशि डी.डी.ओ. कोड 0523802008, लेखाधिकारी, उच्च शिक्षा भोपाल पर आयुक्त, कोष एवं लेखा के सर्वर पर प्रविष्ट है।  
"आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"

  
(डॉ. सुषमा दुबे)  
अपर संचालक (वित्त)  
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश  
भोपाल, दिनांक 18/05/2018

पृ0क0 1016/229/आउशि/अनु-बजट/18  
प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी/राज्यमंत्रीजी मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल।
2. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम मध्यप्रदेश ग्वालियर।
3. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।
4. जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर।
5. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. आहरण एवं संवितरण अधिकारी कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन भोपाल.....की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

  
(डॉ. सुषमा दुबे)  
अपर संचालक (वित्त)  
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश